आयोजनागत

संख्या–402 / XXIV(1) / 2005

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 12 जुलाई,2005

विषयः– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– III हेतु राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या –रा0प0क0 /617/2005–06 दिनांक 27.6.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– III के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–279/XXIV(1)/2005–44/2004 दिनांक 13.5.2005 के द्वारा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 150.00 लाख में से श्री राज्यपाल महोदय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– III के संचालन हेतु, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 के लिए पत्र दिनांक 21.4.2005 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 137.00 लाख के सापेक्ष रू0 24,17,000/– (रूपये चौबीस लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा तथा नियमानुसार मितव्ययता का ध्यान भी रखा जायेगा।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2202– सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–01– प्रारम्भिक शिक्षा–800–अन्य व्यय –97– वाहय सहायतित परियोजनायें–9702– विश्व बैंक योजना (जिला प्राथमिक शिक्षा योजना 25 प्रतिशत राज्यांश) –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–54 / वित्त अनुभाग–4 / 2005 दिनांक 7.7.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल , देहरादून।
2– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल।
3– कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– वित्त अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।